वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 63/2022

दायर दिनांक 10.05.2022

निर्णय दिनांक 12.09.2024

उनवान

1. मै0 सिद्धार्थ ट्रेडिंग कम्पनी जरिये पार्टनर श्रीमती सुशीला कोठारी पत्नी श्री कैलाशचन्द्र जी कोठारी उम्र वयस्क निवासी 3 डी 15 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नानूराम पिता छोटू जी माली उम्र वयस्क निवासी संजय कॉलोनी खेड़ा खूंट माताजी के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
2. गोपाल पिता खेमा जी माली उम्र वयस्क निवासी माणिक्यनगर मालीखेड़ा भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. भैरूलाल पिता खेमा जी माली उम्र वयस्क निवासी माणिक्यनगर मालीखेड़ा भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सायरी पुत्री भैरूलाल माली उम्र वयस्क निवासी माणिक्यनगर मालीखेड़ा भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तग्रत धारा 88–89 एवं 188–92 (क) रा0 का0 अधिनियम
सपठित धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट वादपत्र
घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत

स्थित :—

अधिवक्ता वादी श्री भैरू लाल जी बापना

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 04 श्री उदय लाल शर्मा

वादी की और से अधिवक्ता श्री भैरूलाल उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से की और से अधिवक्ता श्री उदयलाल शर्मा उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 09.2024 पीठासीन अधिकारी अव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन ायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :—

Avhad

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 व 188–92 (क) रा.टि.ए. सपठित रा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पालडी तहसील व जिला लवाड़ा में स्थित प्रतिवादीगण की आराजी नं. 2041 के नक्शा ट्रेस में दक्षिणी भाग में जो भुजाकार भाग 0.1391 हैक्टेयर का अधिक मिलाया जाकर इस आराजी का नक्शा ट्रेस में बा 0.7334 हैक्टेयर कर दिया गया है वह त्रिभुजाकार भाग 0.1391 हैक्टेयर नक्शा ट्रेस में कराया जाकर उसका रकबा 0.5943 हैक्टेयर कायम किया जावे तथा 0.1391 हैक्टेयर बा वादी की आराजी नं. 2042 के नक्शा ट्रेस के उत्तरी भाग में मिलाया जाकर नक्शा ट्रेस रकबा 3.2371 हैक्टेयर किये जाने की डिक्री प्रदान की जाती है ताकि नक्शा ट्रेस में राजी नं. 2042 का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे 3.2371 हैक्टेयर के समान हो सके । तद् र डिक्री की पालना करने हेतु प्रतिवादी सं. 05 तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया ा है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वे पालड़ी तहसील–भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं. 2041 के दक्षिणी भाग में त्रिभुजाकार रूप ो रकबा 0.1391 हैक्टेयर (11 बिस्वा) नक्शा ट्रेस में ज्यादा दर्ज कर दिया गया है उसको ी होना बताकर किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे तथा वादी को कमी रकबे से जबरन बेदखल नहीं करे।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद ाही करें।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारीः आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—63 / 2022 वादपत्र

उनवान

1. मै0 सिद्धार्थ ट्रेडिंग कम्पनी जरिये पार्टनर श्रीमती सुशीला कोठारी पत्नी श्री कैलाशचन्द्र जी कोठारी उम्र वयस्क निवासी 3 डी 15 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नानूराम पिता छोटू जी माली उम्र वयस्क निवासी संजय कॉलोनी खेड़ा खूंट माताजी के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
2. गोपाल पिता खेमा जी माली उम्र वयस्क निवासी माणिक्यनगर मालीखेड़ा भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. भैरूलाल पिता खेमा जी माली उम्र वयस्क निवासी माणिक्यनगर मालीखेड़ा भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सायरी पुत्री भैरूलाल माली उम्र वयस्क निवासी माणिक्यनगर मालीखेड़ा भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89 एवं 188—92 (क) रा0 का0 अधिनियम
सपठित धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट वादपत्र
घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थित :—
अधिवक्ता वादी श्री भैरू लाल जी बापना
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 04 श्री उदय लाल शर्मा

: निर्णय :

दिनांकः— 12 .09.2024

वादी मै. सिद्धार्थ ट्रेडिंग कम्पनी जरिये पार्टनर श्रीमती सुशीला कोठारी पत्नी श्री कैलाशचंद्र कोठारी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 09—05—2022 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88—89 188—92 (क) रा. टि.ए. सपठित धारा 136 राज.लै.रे.एक्ट के तहत वादपत्र इस आशय का पेश किया कि मै. सिद्धार्थ ट्रेडिंग कम्पनी एक रजिस्टर्ड पार्टनरशीप फर्म है जिसके पार्टनर श्रीमती सुशीला कोठारी भैरूलाल काबरा, श्रीमती पुष्पा संचेती व महेश राधेश्याम लढ़ा हैं। वादी फर्म के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी नं. 2042 कुल रकबा 3.2371 हैक्टेयर (12 बीघा 16 बिस्वा) ग्राम पालड़ी तहसील—भीलवाडा में स्थित है। उक्त आराजी के खाते में अन्य आराजियात भी स्थित है किन्तु उनके संबंध में कोई विवाद नहीं होने से इन आराजियात को इस वाद में उल्लेखित नहीं किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त आराजी का रकबा 3.2371 हैक्टेयर (12 बीघा 16 बिस्वा) राजस्व जमाबंदी में दर्ज है और इतने ही रकबे पर वादी फर्म का कब्जा निरंतर चला आ रहा है किन्तु इस आराजी का जो नक्शा ट्रेस कायम किया गया है वह 3.0980 हैक्टेयर (12 बीघा 5 बिस्वा) का ही कायम किया गया है जो कि 0.1391 हैक्टेयर (11 बिस्वा) कम कायम किया गया है जबकि जितना रकबा राजस्व जमाबंदी में दर्ज हो उतना ही रकबा राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जाना चाहिये। इस प्रकार राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने भूल से वादी की उक्त आराजी नं. 2042 रकचा 3.2371 हैक्टेयर का नक्शा ट्रेस में रकबा 3.0980 हक्टेयर ही कायम कर वादी की आराजी का रकबा नक्शा ट्रेस में 0.1391 हैक्टेयर कम कायम किया है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है। राजस्व नक्शा ट्रेस में यह कमी रकबा वादी की आराजी के उत्तर में स्थित प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी नं. 2041 के दक्षिणी भाग में त्रिभुजाकार रूप में अधिक मिला दिया गया है जिसको लाल स्याही से अंकित किया गया है जबकि सेटलमेंट विभाग ने जो चक तराशी नक्शा और नक्शा ट्रेस कायम किया था उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रतिवादीगण की आराजी नं. 2041 के नक्शा ट्रेस में दक्षिणी भाग में जो त्रिभुजाकार भाग 0.1391 हैक्टेयर का अधिक मिलाया गया है वह त्रिभुजाकार भाग वादी की आराजी नं. 2042 का उत्तरी तरफ का भाग है। ऐसी परिस्थिति में इसको वर्तमान नक्शा ट्रेस में आराजी नं. 2042 के नक्शा ट्रेस के उत्तरी भाग में ही अंकित किया जाना आवश्यक है। इस बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित कराया जाना आवश्यक है ।

वादी ने अपने वादपत्र में आगे यह भी अंकित किया कि प्रतिवादीगण की आराजी नं. 2041 का रकबा 0.5943 हैक्टेयर (2) बीघा 7 बिस्वा) है जबकि उनकी इस आराजी का राजस्व नक्शा ट्रेस में रकबा 0.7334 हैक्टेयर (2) बीघा 18 बिस्वा) का राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल से कायम हो गया है जिसको वक्त तस्दीक राजस्व कर्मचारियों द्वारा दुरूस्ती कर नक्शा चकतराशी में सही कर दिया गया था किन्तु मूल शीट मैं यह दुरुस्ती रह जाने से वर्तमान रेकार्ड में यह भूल चली आ रही है। इस कारण से प्रतिवादीगण की उक्त आराजी नं. 2041 के नक्शा ट्रेस में अधिक कायम किया गया रकबा 0.1391 हैक्टेयर कम किया जाकर प्रतिवादीगण की इस आराजी नं. 2041 का नक्शा ट्रेस में रकबा 0.5943 हैक्टेयर ही कायम रखाया जाना आवश्यक है। नक्शा ट्रेस में की गयी यह भूल एक लिपीकीय भूल है जिसको उक्तानुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ।

वादी ने अपने वादपत्र में आगे यह भी अंकित किया कि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल से प्रतिवादीगण की उक्त आराजी नं. 2041 का रकचा राजस्व नक्शा ट्रेस में अधिक दर्ज कर दिये जाने के कारण वे इस नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार अधिक रकबे को खुर्द–बुर्द, अंतरित व भारित करने पर आमादा हो रहे हैं जिससे वादी को अपरिमित क्षति होने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद व प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है कि वे उनकी आराजी नं. 2041 के दक्षिणी भाग में त्रिभुजाकार रूप में लट्ठा ट्रेस चकतराशी के अनुसार जो रकबा 0.1391 हैक्टेयर (11 बिस्वा) नक्शा ट्रेस में ज्यादा दर्ज कर दिया गया है उसको अपनी होना बताकर किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे तथा वादी को इस कमी रकबे से जबरन बेदखल नहीं करे। प्रतिवादी सं. 5 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे न्यायालय की अनुमति के बिना इस आराजी के राजस्व अभिलेख में कोई भी परिवर्तन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं करे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किये गये जिनके द्वारा दिनांक 22–06–2022 को अपना इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

बताया कि आराजी नं. 2042 रकबा 3.2371 हैक्टेयर (12 बीघा 16 बिस्वा) ग्राम पालड़ी सील–भीलवाड़ा में स्थित होना स्वीकार है जो वादी फर्म के खातेदारी अधिकार आधिपत्य है। आराजी नं. 2042 का रकबा 3.2371 हैक्टेयर (12 बीघा 16 बिस्वा) राजस्व जमाबंदी दर्ज है और इतने ही रकबे पर वादी फर्म का कब्जा निरंतर चला आ रहा है। इस राजी का जो नक्शा ट्रेस कायम किया गया है वह 3.0980 हैक्टेयर (12 बीघा 5 बिस्वा) ही कायम किया गया है जो कि 0.1391 हैक्टेयर (11 बिस्वा) कम कायम किया गया है। जस्व नक्शा ट्रेस में यह कमी रकबा वादी की आराजी के उत्तर में स्थित प्रतिवादीगण की तेदारी की आराजी नं. 2041 के दक्षिणी भाग में त्रिभुजाकार रूप में मिला दिया गया है से दुरुस्त किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है अर्थात वादी का वादपत्र कार किया जाकर डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादीगण की आराजी नं. 2041 के दक्षिणी भाग में त्रिभुजाकार रूप में लट्ठा ट्रेस तराशी के अनुसार जो रकबा 0.1391 हैक्टेयर (11) बिस्वा) नक्शा ट्रेस में ज्यादा दर्ज दिया गया है उसको प्रतिवादीगण किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं गे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में आगे अंकित किया कि ग्राम पालड़ी तहसील व ला भीलवाड़ा में स्थित हम प्रतिवादीगण की आराजी नं. 2041 के नक्शा ट्रेस में दक्षिणी ग में जो त्रिभुजाकार भाग 0.1391 हैक्टेयर का अधिक मिलाया गया है वह त्रिभुजाकार ग वादी की आराजी नं. 2042 का उत्तरी तरफ का भाग होने से इसको वर्तमान नक्शा स में आराजी नं. 2042 के नक्शा ट्रेस के उत्तरी भाग में ही नक्शा चकतराशी ट्रेस के नुसार अंकित कराया जाने तथा हम प्रतिवादीगण की आराजी नं. 2041 का नक्शा ट्रेस में कबा 0.5943 हैक्टेयर ही कायम रखाया जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। दी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र जवाबदाता प्रतिवादीगण को स्वीकार है और वादी का वादपत्र क्री किया जाने में जवाबदाता प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी व प्रतिवादीगण के वादपत्र व जवाबदावे में वर्णित तथ्यों के आधार पर यायालय द्वारा तनकियात कायम कर दी गयी थी किन्तु इकबाली जवाबदावा पेश होने के ारण तनकियात के विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं है। वादी पक्ष ने अपनी साक्ष्य में ादीया श्रीमती सुशीला कोठारी का शपथपत्र पेश कर वाद की ताईद की है और स्तावेजात को शपथपत्र के माध्यम से प्रदर्श मार्क किया है।

ग्राम पालडी के आ.न. 2041 राजस्व रिकार्ड मे 0.5943 हेक्टेयर दर्ज है जबकि आ.न. 2041 का राजस्व नक्शे का क्षेत्रफल 0.7334 हेक्टेयर यानि कि 0.1391 हेक्टेयर अधिक है । इसी प्रकार आ.न. 2042 राजस्व रिकार्ड मे 3.2371 हेक्टेयर दर्ज है जबकि आ.न. 2042 के राजस्व नक्शे मे क्षेत्रफल 3.0980 हेक्टेयर यानि 0.1391 हेक्टेयर कम है । राजस्व रिकार्ड मे दर्ज क्षेत्रफल अनुसार राजस्व नक्शे मे दुरस्ती योग्य है । ग्राम पालड़ी के आ.न. 2041 की राजस्व नक्शे मे क्षेत्रफल 0.7334 हेक्टेयर के बजाय 0.5943 हेक्टेयर तरमीम एवं आ.न. 2042 का राजस्व नक्शे 3.0980 हेक्टेयर के बजाय 3.2371 हेक्टेयर तरमीम योग्य है ।

चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के इस वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया है जिससे प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया और वादीगण के वादपत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात और वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत शपथपत्र व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे का गंभीरता से अवलोकन किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 15 के अनुसार प्रथम सुनवायी में वाद का
पटारा किये जाने का प्रावधान है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 15 का नियम 01
स प्रकार है :—

"जब पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है जहां वाद की प्रथम सुनवायी पर यह प्रतीत
ता है कि विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर पक्षकारों में विवाद नहीं है वहां न्यायालय
रन्त ही निर्णय सुना सकेगा ।"

इस मामले में सभी प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र का समर्थन करते हुए इकबाली
वाबदावा प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में चाहा गया
नुतोष प्रदान किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 व 188–92 (क) रा.टि.ए. सपठित
रा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध
तिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पालड़ी के आ.न. 2041 का
जस्व नक्शे मे क्षेत्रफल 0.7334 हेक्टेयर के बजाय 0.5943 हेक्टेयर की राजस्व नक्शे मे
मीम की जावे एवं आ.न. 2042 का राजस्व नक्शे मे क्षेत्रफल 3.0980 हेक्टेयर के बजाय
371 हेक्टेयर तरमीम की जावे । ग्राम पालड़ी के आ.न. 2041 , 2042 के राजस्व नक्शे
तरमीम करते समय प्रतिवादीगण की आराजी नं. 2041 के नक्शा ट्रेस में दक्षिणी भाग में
त्रिभुजाकार भाग 0.1391 हैक्टेयर का अधिक मिलाया जाकर इस आराजी का नक्शा
में रकबा 0.7334 हैक्टेयर कर दिया गया है वह त्रिभुजाकार भाग 0.1391 हैक्टेयर
शा ट्रेस में कम कराया जाकर उसका रकबा 0.5943 हैक्टेयर कायम किया जावे तथा
391 हैक्टेयर रकबा वादी की आराजी नं. 2042 के नक्शा ट्रेस के उत्तरी भाग में मिलाया
कर नक्शा ट्रेस में रकबा 3.2371 हैक्टेयर किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है ।
तिवादी सं. 05 तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व नक्शे मे इन्द्राज करे एवं प्रतिवादीगण को
ायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम पालड़ी तहसील–भीलवाड़ा
स्थित आराजी नं. 2041 के दक्षिणी भाग में त्रिभुजाकार रूप में जो रकबा 0.1391 हैक्टेयर
बिस्वा) नक्शा ट्रेस में ज्यादा दर्ज कर दिया गया है उसको अपनी होना बताकर किसी
माध्यम से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे तथा वादी को इस कमी रकबे से जबरन
खल नहीं करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे । तदनुसार डिक्री जारी की
वे ।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा